कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 73 / 12–1 दिनांक 07 / 07 / 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33के0वी0 विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल–टी–02 के निर्माण हेत 1.68 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पांवर कार्पोरेशन लि0 टिहरी गढवाल को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0 (**FP/UK/TRANS/154613/2022)**

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक–2354 / 12–1 दिनांक 21.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से इंगित कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक–2076 / वि0वि0ख0टि0 / एफ0–1 दिनांक 20–06–2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित किया जा रहा है :–

क0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का अग्रेंजी / वैज्ञानिक / स्थानीय नाम अंकित करते हुये प्रारूप Additional Column में अपलोड किया जाये।	**बिन्दु संख्या–01** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा प्रारूप–19 प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में प्रजातियों का नाम / वैज्ञानिक नाम अंकित करते हुये वृक्षों की गणना सूची ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के भाग–01 के Additional Column में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी मूल प्रति प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा की गई है।
2	प्रश्नगत परियोजना के स्थलीय निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण आपके द्वारा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कब–कब किया गया। निरीक्षण तिथि से अवगत कराये।	**बिन्दु संख्या–02** के अनुपालन में अवगत कराना है कि उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग द्वारा, उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति के साथ दिनांक 19.01.2022 को प्रस्तावित वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग / प्रस्तावक विभाग के सक्षम अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ किया गया, प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–26 एवं 27 में चस्पा की गई है, तथा अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.05.2022 को किया गया जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–28 में प्रारूप–07 (Site Inspection Report) में चस्पा की गई है।
3	डिजिटल मैप में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	**बिन्दु संख्या–03** के अनुपालन में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित डिजिटल मैप की प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–30 एवं 32 में पूर्व से ही चस्पा की गई है।
4	प्रारूप–12,31,37,44,46,49,53 व प्रारूप–55 में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	**बिन्दु संख्या–04** के अनुपालन में अवगत कराना है कि 1– प्रारूप–12 वैकल्पिक समरेंखण में संलग्न गूगल मानचित्र में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा हस्ताक्षर किये गये है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–37 पर चस्पा किया गया है। 2–उक्त प्रस्ताव ट्रांसमिशन लाईन हेतु प्रस्तावित है तथा प्रारूप–31 केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु गठित परियोजनाओं में लागू होता है जिस कारण प्रारूप–31 में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये है। 3–प्रारूप–37 धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने के प्रमाण–पत्र में अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

E-7.42

		अपेक्षित नहीं है। 4–प्रारूप–44 चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का टोपोशीट / मानचित्र में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा हस्ताक्षर किये गये है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–163 से 165 में चस्पा किये गये है। 5–प्रारूप–46 परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों / पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन, परियोजना के 01 हे0 से अधिक होने की दशा में लागू नहीं है कि हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–167 में चस्पा करं दी गयी है। 6–प्रारूप–49 मलबा निस्तारण योजना में परियोजना में मलबे के उत्सर्जित नहीं होने के कारण योजना लागू नहीं है। कि हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–170 में चस्पा कर दी गयी है। 7–प्रश्नगत प्रकरण वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव है, तथा प्रारूप–53 लीज सम्बन्धी प्रकरणों में लागू होता है, जिस कारण उक्त प्रारूप में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है। 8–प्रश्नगत प्रारूप–55 जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान हेतु प्रस्तावित परियोजना में लागू होते है तथा उक्त प्रकरण 33के0वी0 विद्युत लाईन का प्रस्ताव होन की दशा में प्रारूप–55 में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है।
5	प्रारूप–23 प्रभावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में परियोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	**बिन्दु संख्या–5** के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में विभिन्न प्रजाति के कुल 585 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिस कारण प्रारूप–23 (वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र) में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है।
6	कम्पोनेन्ट वाइज एरिया के0एम0एल0 फाइल में सही अंकित करें।	**बिन्दु संख्या–06** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा भाग–1 के पैरा–B(2.4) Component Wise Breakup में एवं पैरा– C(B)-1 प्रस्तावित परियोजना की के0एम0एल0 फाइल में कम्पोनेन्ट वाइज एरिया अंकित कर दिया गया है।
7	आपके द्वारा ग्राम पंचायत चमेली, तिमली एवं बवाणी में जो बैठक की गई है उनमें प्रत्येक ग्राम सभा में 3–4 ग्रामवासियों की उपस्थिति बहुत कम है। जबकि अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।	**बिन्दु संख्या–07** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत चमेली, तिमली एवं बवाणी के ग्रामवासियों के हस्ताक्षर करवाये गये है। जिसकी प्रति प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–30 (वन अधिकार अधिनियम–2006) में चस्पा की गई है।

<u>संलग्न–प्रस्ताव की चार प्रतियां (01 मूल प्रति सहित) :–</u>

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 73 / 12–1 दिनांकित।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–</u>

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 नई टिहरी को उनके पत्रांक–2076 / वि0वि0ख0टि0 / एफ0–1 दिनांक 20–06–2022 के क्रम में।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।